भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2377
दिनांक 13 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना

2377. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत ऊर्जा और विद्युत तथा प्रमुख प्रदूषणकारी क्षेत्रों को शामिल करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत सरकार इन क्षेत्रों को कब तक शामिल कर लेगी;

(ग) क्या कोई अधिदेश प्राप्त कंपनी उक्त योजना में शामिल है और यदि हां, तो ऐसी कंपनियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) में कमी लाने के लक्ष्य दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के संबंध में जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए आवंटित और जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को जून, 2023 में अधिसूचित किया गया था और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) की धारा 14 की उप-धारा (ब) के तहत दिसंबर, 2023 में संशोधित किया गया।

सीसीटीएस के अंतर्गत दो तंत्र हैं, नामत: अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। वर्तमान में अनुपालन तंत्र में एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, उर्वरक, लोहा और इस्पात, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी और कागज तथा कपड़ा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) : लगभग 795 दायित्वधारी संस्थाएं सीसीटीएस के अनुपालन तंत्र के अंतर्गत किए जाने का अनुमान है। राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

राज्य	दायित्वधारी संस्थाएं
आंध्र प्रदेश	41
असम	8
बिहार	5
छत्तीसगढ़	76
गोवा	5
गुजरात	101
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू कश्मीर	1
झारखंड	25
कर्नाटक	55
केरल	4
मध्य प्रदेश	33
महाराष्ट्र	48
मेघालय	10
ओडिशा	83
पंजाब	28
राजस्थान	70
तमिलनाडु	49
तेलंगाना	26
संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी	2
उत्तर प्रदेश	45
उत्तराखंड	7
पश्चिम बंगाल	47
कुल योग	**795**

(घ) और (ङ) : सरकार द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों अर्थात् एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-क्षार, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, लुगदी एवं कागज तथा वस्त्र के लिए प्रति टन उत्पाद पर CO_2 के संदर्भ में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन संघनता लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(च) : सरकार ने सीसीटीएस के प्रशासन के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की है। स्कीम के खर्चों को सीसीटीएस के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं से एकत्रित शुल्क और प्रभारों तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

****